



डाक एवं ग्रामीण जीवन बीमा (सुरक्षित जीवन, सुनिश्चित भविष्य)

➤ डाक जीवन बीमा

पात्रता

केंद्र और राज्य सरकार, रक्षा सेवाएं, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक, केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के निकाय जैसे - नगरपालिकाएं, जिला परिषद आदि के कर्मचारी।

सेवाओं की समाप्ति के पश्चात भी डाकघरों में नकद में प्रीमियम का भुगतान कर पॉलिसी जारी रखी जा सकती है।

क्रम सं.	पॉलिसियों के प्रकार	आयु सीमा	बीमाकृत राशि की सीमा	चालू बोनस की दरें (प्रति वर्ष बीमाकृत राशि प्रति हजार)
1	सुरक्षा (आजीवन बीमा)	19 से 55 वर्ष तक	` 50 लाख	` 85/-
2	संतोष (स्थायी निधि बीमा)	19 से 55 वर्ष तक	` 50 लाख	` 58/-
3	सुविधा (परिवर्तनीय आजीवन बीमा)	19 से 55 वर्ष तक	` 50 लाख	
4	सुमंगल (प्रत्याशित स्थायी निधि बीमा)	19 से 45 वर्ष तक, 15 वर्षों के लिए। 19 से 40 वर्ष तक, 20 वर्षों के लिए	` 50 लाख	` 53/-
5	युगल सुरक्षा (संयुक्त स्थायी निधि)	21 से 45 वर्ष तक	` 50 लाख	` 58/-
6	बच्चों की पॉलिसी	पॉलिसी धारक 45 वर्ष से कम और बच्चे 5 से 20 वर्ष तक	न्यूनतम - 20000 अधिकतम - 100000	` 58/-

लाभ

आयकर छूट - डाक जीवन बीमा का प्रदत्त प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अधीन आयकर में छूट के लिए पात्र है।

जोखिम सुरक्षा-राशि - प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से पॉलिसी पर जोखिम सुरक्षा-राशि का प्रारंभ।

पुनःप्रवर्तन - डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011 के नियम 56 एवं 57 की कुछ शर्तों के अधीन प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के कारण व्यपगत हुई पॉलिसियों को अच्छा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और प्रतिवर्ष @12% ब्याज के साथ बकाया प्रीमियम का भुगतान कर पुनः प्रवर्तन की अनुमति है।

ऋण - डाक जीवन बीमा पॉलिसी की प्रतिभूति पर ऋण प्राप्त किया जा सकता है जो संतोष/युगल सुरक्षा एवं सुरक्षा/सुविधा के मामले में कम से कम क्रमशः 3/4 वर्षों से लागू हो। बच्चों और सुमंगल पॉलिसियों के लिए कोई ऋण लागू नहीं होगा।

अभ्यर्पण - सुरक्षा, संतोष, सुविधा या युगल सुरक्षा पॉलिसियाँ, जो कम से कम 3 वर्ष तक चालू हो, भुगतान के लिए अभ्यर्पित की जा सकती है। इसके लिए प्रीमियम के भुगतान की तारीख तक बीमाकृत राशि घटाकर भुगतान किया जाता है। तथापि पॉलिसियों के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले कोई बोनस स्वीकार्य नहीं है। अभ्यर्पण मूल्य की राशि पॉलिसी अवधि के अनुसार वास्तव में भुगतान किए गए प्रीमियम से काफी कम है। पॉलिसी के अभ्यर्पण में, बीमादार को भारी हानि होती है।

छूट- यदि वार्षिक प्रीमियम का भुगतान अग्रिम किया जाता है तो 2% और यदि छह महीनों के प्रीमियम का भुगतान अग्रिम किया जाता है तो 1% की छूट की अनुमति है।

➤ ग्रामीण जीवन बीमा

ग्रामीण डाक जीवन बीमा निम्न प्रकार की योजनाएं प्रदान करती हैं।

1. आजीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा)
2. परिवर्तनीय आजीवन बीमा (ग्राम सुविधा)
3. स्थायी निधि बीमा (ग्राम संतोष)
4. प्रत्याशित स्थायी निधि बीमा (ग्राम सुमंगल)
5. 10 वर्ष ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिया)
6. बच्चों की पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

ग्रामीण जीवन बीमा योजना की आजीवन बीमा, स्थायी निधि, परिवर्तनीय आजीवन बीमा और प्रत्याशित स्थायी बीमा योजनाओं की मुख्य विशेषताएं डाक जीवन बीमा की योजनाओं की तरह ही है सिवाय इसके कि इसकी न्यूनतम बीमाकृत राशि `10,000 है और अधिकतम बीमाकृत राशि `10 लाख है। आजीवन बीमा और स्थायी निधि बीमा के मामले में प्रवेश की आयु सीमा 55 वर्ष है किंतु अन्य योजना के मामले में 45 वर्ष है।

सभी योजनाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षा अनिवार्य है। बिना स्वास्थ्य परीक्षा के ली जाने वाली पॉलिसियों के लिए अधिकतम बीमाकृत राशि `25,000/- है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए गैरमानक आयु प्रमाण, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

लाभ

आज भारतीय जीवन बीमा बाजार में डाक जीवन बीमा एकमात्र बीमाकर्ता है जो बाजार में किसी भी उत्पाद के लिए न्यूनतम प्रभारित प्रीमियम के साथ उच्चतम प्रतिलाभ (बोनस) प्रदान करती है।

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण जीवन बीमा धारकों को निम्नानुसार सुविधाएं प्राप्त हो सकती है।

- नामांकन में परिवर्तन
- बीमादार भारत के राष्ट्रपति की ओर से सर्किल के प्रमुखों को उनकी पॉलिसी के बंधक द्वारा ऋण ले सकते हैं, बशर्ते पॉलिसी ने स्थायी निधि बीमा के मामले में 3 साल और आजीवन बीमा के मामले में 4 साल पूर्ण किए हो। समनुदेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- ऋण लेने के लिए किसी भी वित्तीय संस्था को पॉलिसी देना।
- व्यपगत पॉलिसी का पुनःप्रवर्तन, 6 प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के पश्चात पॉलिसी व्यपगत होगी यदि वह 3 वर्षों से कम लागू रही हो और 12 प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के पश्चात पॉलिसी व्यपगत होगी यदि वह 3 वर्ष से अधिक लागू रही हो।
- मूल पॉलिसी बांड खो जाने, जलने अथवा फटने/कटा-फटा होने पर दूसरा पॉलिसी बांड जारी करना।

